

प्रपत्र-8

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, राशमी जिला चितौड़गढ़
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / केम्प कोर्ट) केम्प ~~राशमी~~

आदेश :-

प्राची के "खाता दुकस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पट्टापी ~~श्री~~
व भूअ.मि. ~~श्री~~ की रिपोर्ट तथा तहसीलदार ~~श्री~~ / नायब
तहसीलदार ~~श्री~~ की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम
1956 की धारा 130 के अनुसरण में ~~श्री~~ तहसील ~~श्री~~ व
जिला राजसमन्द की जमाबन्दी संवत् ~~2020~~ में खाता संख्या ~~68~~ में
वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि का निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल
दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-

क्र.सं.	ग्राम	ता या	वर्तमान प्रविष्टि (शुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1	श्री	102	केशा पुज श्यला	केशु पुज श्यला

पीठासीन अधिकारी
लोक अदालत

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, राशमी

दिनांक :- 25/10/2021

क्रमांक- 232
प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार ~~श्री~~ का भ्रूजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शोध किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवावे।
2. प्राची श्री को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रदली।

पीठासीन अधिकारी
लोक अदालत

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,
राशमी

